न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 34 / 2007 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री देवीलाल पिता जवेर चन्द जी ब्राह्मण निवासी तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री जमना शंकर पिता जवेर चन्द जी ब्राह्मण निवासी ओबरा कला तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री नरू पिता कन्नीराम जी ब्राह्मण निवासी ओबरा कला तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)
4. श्री चुन्नीलाल पिता कन्नीराम जी ब्राह्मण निवासी ओबरा कला तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्री पूर्णाशंकर पिता कमलचन्द जी ब्राह्मण निवासी ओबरा कला तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर
उदयपुर दिनांक 10–04–2007 प्रकरण संख्या
41 / 2004 प्रार्थना पत्र

———/———

उपस्थित :– 1– श्री सम्पतलाल बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– श्री औंकारलाल डांगी अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

————/————

निर्णय **दिनांक 01–02–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर उदयपुर में अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध नियम–14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कोबरा कला में आराजी नंबर 1438 रकबा 1.075 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की जमीन के बीच स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी जमीन के आराजी नंबर 1436, 1437, 1439,

व 1440 है। ये सारी जमीन एकचक के रूप में है। जिसमें आराजी नंबर 1438 भी शामिल है। जिस पर 70 वर्षो से प्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। सबने यह तय किया कि सब मिलकर इस जमीन को आवंटन करवायेंगे तथा कोई भी व्यक्ति अकेला आवंटन नहीं करा सकेगा। विपक्षी के पास 15 बीघा पहले से भूमि होने के बावजूद मिली–भगत कर उद्घोषणा रहित भूमि का आवंटन करवा लिया तथा आवंटन शर्तो की भी पालना नहीं की। कोरम भी पूरा नहीं था, आवंटन फ्रॉड व मिस–रिप्रजेन्टेशन से गलत करवाया गया है। अतएव दिनांक 29–6–1999 को किये गये उक्त आवंटन को निरस्त किया जाय। विपक्षी आवंटी रेस्पोन्डेन्ट ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर नियमानुसार आवंटन होने विपक्षी भूमिहीन होने, कब्जा विपक्षी का ही होने, आवंटन शर्तो की पालना करने, आवंटन प्रार्थीगण की मोजूदगी व जानकारी में होने का कथन कर अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट भी तलब की तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 10–4–2007 से अपीलान्ट प्रार्थी का आवेदन खारिज कर आवंटन आवंटी रेस्पोन्डेन्ट विपक्षी का बहाल रखा। जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रार्थी द्वारा यह प्रथम अपील इस न्यायालय में दिनांक 14–5–007 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री औंकारलाल डांगी ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करने की प्रार्थना की। वहीं अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होना बताकर अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने ओक्युपाईड होने बाबत, उद्घोषणा बाबत्, आवंटी के पास 15 बीघा से अधिक भूमि होने बाबत्, मौके पर कोई काश्त कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के तथ्यों पर कोई विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थन्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट के उजरात बाबत् बिन्दूवार विवेचन निम्नानुसार है :–

1. **<u>भूमिहीन काश्तकार नहीं होना :–</u>**

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब साक्ष्यों का कोई विवेचन ही नहीं किया है तथा अत्यन्त संक्षिप्त में निम्नानुसार निर्णय पारित कर दिया है :–

"हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। विपक्षी को उपजिला कलक्टर गिर्वा द्वारा किया गया आवंटन नियमानुसार प्रतीत होता है प्रार्थी द्वारा विपक्षी के विरूद्ध कोई ठोस सबूत आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारिज कर विपक्षी को किया गया आवंटन बहाल रखना उचित समझता हूँ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। अप्रार्थी को भू–आवंटन कमेटी, द्वारा दिनांक 29–6–99 को आराजी नंबर 1438 रकबा 1.0750 हैक्टर भूमि का किया गया भू–आवंटन आदेश बहाल रखा जाता है"।

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा निम्नानुसार जमाबन्दीयां तथा आवंटी रेस्पोन्डेन्ट के खाते की नकलें पेश की थी :–

क्र. सं.	जमाबन्दी वर्ष	ग्राम	खाता संख्या	कूल जमीन	आवंटी का हिस्सा	आवंटी के खाते जमीन
1	2	3	4	5	6	7
1	2056–59	ओबरा खुर्द	223	1.035	संपूर्ण	1.035
2	2052–60	ओबरा कला	298	2.27	1/4	0.5675
3	2057–60	ओबरा कला	299	2.23	1/8	0.2787
4	2057–60	ओबरा कला	329	0.8650	1/2	0.4325

उपरोक्तानुसार आवंटी के पास कूल 2.3137 हैक्टर भूमि है तथा आवंटी को 1.075 हैक्टर भूमि का आवंटन किया गया है, अर्थात आवंटी के पास पूर्व से उपलब्ध 2.3137 हैक्टर भूमि व आवंटित भूमि मिलकर 2.3137+1.075 = 3.3887 हैक्टर भूमि हो जाती है, जो कि स्पष्टतया 4 हैक्टर से कम भूमि है, अर्थात संबंधित नियमों के नियम–12 में वर्णित अनुसार आवेदक भूमिहीन की परिभाषा में आता है। अपीलान्ट द्वारा जो पेश शुदा न्यायिक नजीर R. B. J. 2006 पेज 272 इस पर लागू नहीं होती।

2. **<u>आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना :–</u>**

अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् कोई खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार भी मौके पर घास काटे जाने का विवरण है तथा कोई निर्धारित अवधि काश्त के लिए वर्तमान नियम वर्णित भी नहीं है। अन्य कोई आवंटन शर्तो

की उल्लंघना प्रतीत नहीं होती। अपीलान्ट द्वारा इस बाबत् पेश शुदा न्यायिक नजीरें R. R. T. 2007 (2) पेज 1048 (H C), R. R. T. 2001 (2) पेज 1410, R. R. T. 2005 (1) पेज 83 इस प्रकरण पर लागू नहीं होती क्योंकि आवंटन शर्तो की पालना नहीं किया जाना प्रकट नहीं होता।

3. **उद्घोषणा जारी नहीं होने तथा अनाधिवासित भूमि नहीं होना :–**

अपीलान्ट द्वारा ऐसी कोई प्रभावी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे यह प्रतीत होता हो कि भूमि अधिवासित हो अर्थात उसने बिलानाम आवंटित भूमि पर उसका कब्जा होने की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तथा उद्घोषणा की प्रति की नकल लेने पर उसे निषेध अथवा मना किया गया हो। तद्नुसार अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर R. R. D. 1985 पेज 564 बी. इस प्रकरण पर लागू नहीं होती।

4. **कोरम पुरा नहीं होना :–**

आवंटन पत्रावली के अवलोकन से यह सुस्पष्ट होता है कि आवंटन आवेदन पर L. A. C. के सदस्य तहसीलदार, विधायक, प्रधान व सरपंच के हस्ताक्षर है। तद्नुसार कोरम पूर्ण है। अतएव अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा नजीर C. T. 2009 (1) पेज 361 (एच.सी.) इस प्रकरण पर लागू नहीं होती।

उपरोक्त समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट अतिक्रमी के रूप में विधि सम्मत किये गये आवंटन को बिना लोकस–स्टेण्डाई खारिज करवाने के लिए जो भी उजरात लेकर आया है, वह उपरोक्तानुसार पोषणीय नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायाल का निर्णय दिनांक 10–4–2007 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 01–02–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर